न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

(पीठासीन अधिकारी भावना राघव गूर्जर, आर.ए.एस.)

अपील संख्या 70/2018 **दायरा दिनांक : 08.05.2018**

उनवान

घनश्याम आत्मज भंवर लाल, आयु 50 साल, जाति माली, निवासी लायफल, तहसील खानपुर, जिला झालावाड़

.... अपीलांट

बनाम

1— बजरंग पुत्र किशना, जाति माली, निवासी लायफल, तहसील खानपुर, जिला झालावाड़

2— छोटी बाई पुत्री किशना, जाति माली, निवासी लायफल, तहसील खानपुर, जिला झालावाड़

3— गीता बाई पुत्री किशना, जाति माली, निवासी लायफल, तहसील खानपुर, जिला झालावाड़

4— बरजी बाई पुत्री किशना, जाति माली, निवासी लायफल, तहसील खानपुर, जिला झालावाड़

5— हीरा बाई बेवा किशना, जाति माली, निवासी लायफल, तहसील खानपुर, जिला झालावाड़

6— उप पंजीयक महोदय, खानपुर, तहसील खानपुर, जिला झालावाड़

7— राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील खानपुर, जिला झालावाड़

.... रेस्पोडेंट

उपस्थित — श्री चरण सिंह अभिभाषक अपीलांट की ओर से

निर्णय **दिनांक : 21.10.2019**

यह अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम उपखण्ड अधिकारी, खानपुर के प्रकरण संख्या – 688/2016 निर्णय व डिक्री दिनांक 22.05.2017 से अप्रसन्न होकर पेश की गई है ।

अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि वादी अपीलांट ने अधीनस्थ न्यायालय में धारा 88, 89, 91 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में वाद पेश कर कथन किया कि ग्राम लायफल, तहसील खानपुर के माल की नई खाता संख्या 127 पुराना 123 की आराजी खसरा नम्बर 641/971 रकबा 5 बिस्वा, खसरा नम्बर 642/973 रकबा 12 बिस्वा कुल 2 किता की 17 बिस्वा आराजी प्रतिवादी रेस्पोडेंट नम्बर 1 लगायत 5 ने दिनांक 26.07.2004 को बेचान के इकरार के आधार पर उक्त आराजी को अन्य को बेचान व खुर्दबुर्द नहीं करने एवं प्रतिवादीगण 1 लगायत 5 उप पंजीयक कार्यालय में उपस्थित होकर विक्रय पत्र रजिस्टर्ड वादी के पक्ष में करवाये जाने हेतु स्थायी निषेधाज्ञा तथा खातेदारी घोषणा हेतु वाद पेश किया । अधीनस्थ न्यायालय ने न्याय आपके द्वारा केम्प में वादी का वाद खारिज कर दिया जिससे अप्रसन्न होकर यह अपील पेश की गई । अपील में अपीलांट ने कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय पत्र संग्रह सार तथा कानून के विपरीत होने से निरस्त होने योग्य है । अधीनस्थ न्यायालय ने बेचान इकरारनामा दिनांक 26.07. 2004 पर गोर नहीं किया है । वादी अपीलांट खातेदारी अधिकार की घोषणा करवाने का अधिकारी है तथा उक्त खसरा नम्बरान पर वादी काबिज काश्त चला आ रहा है । वादी अपीलांट को अपनी शहादत पेश करने तथा दस्तावेज बेचाननामे को प्रदर्श करवाने का समुचित अवसर भी नहीं दिया गया । वादी अपीलांट गरीब व निर्धन व्यक्ति है उसके पास आय का कोई अन्य कोई स्त्रोत नहीं है । अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 22.05.2017 अपास्त किया जाये ।

अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर यह कथन किया गया है कि अपीलाधीन निर्णय की जानकारी दिनांक 12.04.2018 को हुई । जानकारी की तिथि से अपील अवधि मध्य है । अतः विलम्ब का शमन किया जाये ।

अपील प्राप्त होने पर सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई । नोटिस जारी किये गये । रेस्पोडेंट की ओर से किसी के उपस्थित नहीं आने पर एक तरफा बहस योग्य अभिभाषक अपीलांट सुनी गई ।

हमने बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया । न्याय हित में धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर विलम्ब का शमन किया जाता है । अपीलांट अपील के पक्ष में तथ्य प्रमाणित करने में विफल रहे हैं ।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 22.05.2017 यथावत रखा जाता है ।

निर्णय आज दिनांक 21.10.2019 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(भावना राघव गूर्जर)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा